

(वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत)

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा**

क्रमांक :- अ.अ./ज.सं.(बांस.)/2021-22/ 1723-25

दिनांक - 03.03.2022

:: ई-निविदा सूचना संख्या - 06 वर्ष 2021-22 ::

राजस्थान राज्यपाल महोदय की और से अधोहरताक्षकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु उपयुक्त श्रेणी में जल संसाधन विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार के विभागों एवं संगठनों एवं उपक्रमों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों जो PWF&R नियम 334 परिशिष्ट नियम सेक्शन VII-2 के अन्तर्गत राजस्थान से संबंधित विभाग में पुनरावलोकन किया हो, एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अधिकृत संगठनों एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेल्वे इत्यादी में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्वोरमेन्ट में प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ब्लॉक	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	धरोहर राशि		कार्य पूर्ण करने की अवधि
					@2%	@0.5%	
1	Construction of Dara MST (Under TAD)	Kushalgarh	245.09	2000	4.90	1.23	1 वर्ष (पर्षा ऋतु सहित)
2	Renovation of Chittoda Khalsa M.S.T.	Sajjangarh	104.52	2000	2.09	0.52	1 वर्ष (पर्षा ऋतु सहित)
<b>योग:-</b>			<b>349.61</b>				


निविदा फार्म आन लाईन वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से निम्न विवरणानुसार डाउनलोड की जाकर ऑन लाईन निविदाएं पुनः इसी वेब साईट पर जमा कराई।

1. बिड सिक्योरिटी जमा कराने के लिए निर्माण कार्य हेतु बिड सिक्योरिटी बजट मद 8443-00-108-00-00 (लोक निर्माण कार्य जमा) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा के डीवीजन कोड संख्या 701 एवं डी.डी.ओ. कोड 24009 का चयन ई-ग्रास पर किया जाना अनिवार्य होगा।
2. धरोहर राशी निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत/आधा प्रतिशत (जो नियमानुसार) अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बांसवाड़ा के कार्यालय के नाम देय होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर दिनांक 14.03.2022 से दिनांक 12.04.2022. सांय 6.00 बजे तक डाउनलोड कर जमा कराये जा सकते हैं एवं वित्तिय बिड दिनांक 13.04.2022 को सांय 4.00 बजे खोली जावेगी।  
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।  
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदा नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदा खोलने का कार्य जारी रखा जायगा।
4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्य के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 14.03.2022 से 12.04.2022 सांय 6.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। वित्त विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प-6(5)/वित्त/साविलेनि/2018 जयपुर दिनांक 27.04.2020 की अनुपालना में ई-ग्रास पर एक ही चालान से वाली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी राशि एवं M.D.RISL फिस राशि जमा कराई जावेगी एवं चालान की प्रति निविदा खोलने की दिनांक 13.04.2022 से पूर्व दोपहर 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। तत्पश्चात् चालान द्वारा जमा राशि उपयुक्त मद में जमा होने का सज्ञान लिये जाने के पश्चात् ही निविदा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।
7. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेंगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधित करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. यदि फर्म का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा।

9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियर अथवा इंजिनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक व उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार राक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
11. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य स्थल, भौगोलिक परिस्थिति एवं निर्माण से संबंधित समस्त परिस्थितियों का संज्ञान निश्चित रूप से लें।
13. अनुभव एवम् अर्हता के संबंध में संवेदक द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जावे, उस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का फोन नम्बर एवम फैक्स नम्बर अंकित करें, ताकि प्रमाण पत्रों की संपुष्टि करने में अनावश्यक विलम्ब न होवे।
14. वित्त(जीएण्डटी) विभाग के परिपत्र पत्रांक F-2(1)FD/G&T(SPFC)/2017/ जयपुर दिनांक 22.10.2021 के तहत 15 प्रतिशत से अधिक कम (Below) निविदा दर प्रस्तुत किये जाने पर सफल बोलीदाता से अन्तर राशि अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूमि का डीमाण्ड ड्राफ्ट अधिशाली अभियता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा के नाम बनाया जाकर खण्डीय कार्यालय में जमा कराना होगा।

**ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश -**

- (अ) इन निविदाओं से दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता प्रपत्रों का ईन्टरनेट साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं के ईन्टरनेट साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट डी.सी.ए. (DCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- (द) ऑन लाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम संख्या 3(अ) के अनुसार खोली जायेगी।
- (य) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- (र) कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिक जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- (ल) टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
- (व) निविदादाता को उक्त वर्णित कार्यों के समकक्ष कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा साथ ही वर्तमान में निविदाकारों के नाम आवंटित कार्यों का विवरण/न्यूनतम निविदा दर वाला कार्यों का विवरण जिसका कार्यादेश जारी नहीं हुआ है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

  
 अधिशाली अभियता,  
 जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा